न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं. 46/2011 Gcms-2011/00325 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कलावती वगैरा v/s भागोती वगैरा	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपभ अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:05:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः— राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अपील संख्याः— 46/2011
जी.सी.एम.एस. नम्बरः— 2011/00325

1. कलावती उम्र 40 वर्ष
2. राजबाला उम्र 38 वर्ष
3. सावत्री उम्र 35 वर्ष

पुत्रीयां गोरू जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. भागोती बेवा गोरू
2. रामचन्द्र दत्तक पुत्र गोरू

जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत नाथा की नांगल दिनांक 07.12.2004 बाबत नामान्तरकरण संख्या 650 ग्राम नाथा की नांगल

उपस्थितिः— श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट— अपीलान्ट्स
श्री अनिल कुमार शर्मा एडवोकेट— रेस्पो. सं. 1
श्री सत्यनारायण सैनी एडवोकेट— रेस्पो. सं. 2

निर्णय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर स्थित भूमि ख.नं. 392 रकबा 0.38 हैक्ट., ख.नं. 393 रकबा 0.53 हैक्ट., ख.नं. 395 रकबा 1.05 हैक्ट., ख.नं. 396 रकबा 2.30 हैक्ट., ख.नं. 397 रकबा 0.98 हैक्ट., ख.नं. 400 रकबा 0.97 हैक्ट. कुल किता 6 कुल रकबा 6.21 हैक्ट. में 3/16 हिस्से की तथा ख.नं. 51 रकबा 0.63 हैक्ट., ख.नं. 56 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.नं. 398 रकबा 0.39 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्ट में 1/6 हिस्से की खातेदारी गोरू पुत्र जयनारायण के नाम दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:05:09 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

गोरू पुत्र जयनारायण का देहान्त होने पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण सं. 650 रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम भरकर दिनांक 07.12.2004 को ग्राम पंचायत नाथा की नांगल द्वारा तस्दीक किया गया। अपीलान्ट्स गोरू की जायन्दा पुत्रीयां है फिर भी नामान्तकरण उनके हक में नहीं भरा गया।

योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाथा की नांगल का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। नामान्तकरण अपीलान्ट्स एवं रेस्पोण्डेन्ट्स सभी के नाम तस्दीक करना चाहिए था ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकारों के बाहर जाकर नामान्तकरण रेस्पोडेन्टस के नाम गलत तस्दीक किया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स को नामान्तकरण पर नहीं सुना गया।

विवादित नामान्तकरण आदेश की बाबत पूर्व में अपीलान्टस् को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 06.08.2011 को अपीलान्ट्स ने गॉव नाथा की नांगल में सुना कि रेस्पो. नं. 2 रामचन्द्र उक्त भूमि को दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर रहा है। दिनांक 08.08.2011 को नकल नामान्तकरण प्राप्त हुई । अतः जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जावे ।

उक्त तथ्यों के साथ अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । वास्ते सुनवाई रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्टस् मय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भागोती द्वारा अपील के बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपील के बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए आपत्ति पेश की गई। अपीलान्ट्स द्वारा आपत्ति का जवाब पेश किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। विज्ञ अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील बिन्दुओं को दोहराते हुए तर्क दिया कि नामान्तरकरण की नकल लेने पर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ में प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट्स मृतक गोरू की जायन्दा पुत्रीयां है। गोरू की सम्पत्ति में उनका हक निहित है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 650 ग्राम नाथा की नांगल अपास्त किया जावे। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जावे।

दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का तर्क था कि विवादित नामान्तकरण की अपील मियाद बाहर पेश की गई है। नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही है। नामान्तकरण गोद पत्र का दर्ज किया गया है। गोद पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य है। दौराने बहस मृत्यु प्रमाण पत्र गोरूराम, लिखावट दिनांक 10.6.1996, रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 07.07.1999 की फोटो प्रति पेश की गई। विज्ञ अधिवक्ता ने आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 350 प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:05:09 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उभय पक्ष की बहस को मियाद बिन्दु एवं अपील के गुणावगुण पर ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्मान पूर्व न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। प्रथम मियाद बिन्दु पर विवेचन इस प्रकार से है। नामान्तरकरण संख्या 650 का अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत नाथ की नांगल द्वारा दिनांक 07.12.2004 को गोद पत्र का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अत्यधिक विलम्ब के लिए जो विवरण व कारण प्रस्तुत किये गये है वह अपूर्ण, अपर्याप्त व सन्तोषजनक नही है। अपीलान्ट्स द्वारा करीब 07 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर होना पायी जाती है।

दूसरा बिन्दु विवादित उक्त नामान्तकरण पंजीकृत गौद पत्र के आधार पर भरा जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा गौद पत्र को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई हो बाबत कोई दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। गौद पत्र आज तक प्रभावित है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग होती है, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निर्धारण नही किया जा सकता। 2003 आर.टी. पार्ट–1 पेज 650 में वर्णित किया है कि विरासत के जटिल प्रश्नों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद पेश करके ही किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 09/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:05:09 IST
Reason: SelfAttested